भारत के उप–राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA

नई दिल्ली – 110001 (भारत)

NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस–55 / 1 / आर.टी.आई. / 71 / 2025–2026 25 मार्च, 2026

श्री राजू बहेलिया,
पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल,
मकान नं0–481 / 63 / 1,
बाग शाह जी बाग, मोहन मीकिन रोड़,
डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226020।

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में आपकी आर.टी.आई. इस सचिवालय में 18.03.2026 को प्राप्त हुई है जिसके साथ 10 रूपये का पो०आ०सं० 73एफ 187717 संलग्न कर जिसमें आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत किया जाता है कि आपके दिनांक **06.12.2025** के आवेदन को श्रीयुत पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर एक्सटेंशन, शहीद पथ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है तथा उसकी एक प्रति आपको को भी इस आशय के साथ प्रेषित की गई थी कि भविष्य में आप उपर्युक्त अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

(सरिता चौहान)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

भारत के उप–राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली – 110001 (भारत)
NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या उ.रा.स./18/01/2025(ह)–प्रशासन 09 जनवरी, 2026

श्रीयुत पुलिस महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय,
टावर–2, गोमतीनगर एक्सटेंशन,
शहीद पथ, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश–226001।

महोदय,

माननीय उप–राष्ट्रपति जी को संबोधित पत्र श्री राजू बहेलिया पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल, मकान नं0–481/63/1, मोहन मीकिन रोड़, बाग शाह जी बाग, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226020 का दिनांक 06.12.2025 का पत्र इस सचिवालय में दिनांक 10.12.2025 को प्राप्त हुआ है।

अतः इनका मूल पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रचलित नियमानुसार आपके अध्ययन एवं ध्यानाकर्षण हेतु उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही से आवेदक तथा इस सचिवालय को भी अवगत कराने कि कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीया,
ह./–
(सरिता चौहान)
अवर सचिव

प्रति सूचनार्थ – श्री राजू बहेलिया पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल, मकान नं0–481/63/1, मोहन मीकिन रोड़, बाग शाह जी बाग, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226020। कृपया आपसे निवेदन है कि आप भविष्य में पत्र के संदर्भ में कार्यवाही हेतु उपर्युक्त कार्यालय से संपर्क करें।

(सरिता चौहान)
अवर सचिव

RTI No. 71

सेवा में,

श्रीमान् जन सूचना अधिकारी महोदय/अवर सचिव,

उपराष्ट्रपति सचिवालय,

108, चर्च रोड़, नई दिल्ली–110001

Vice President's Secretariat New Delhi Dy. No. 485 Date 18/3/26

विषय :– **प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005**

महोदय,

प्रार्थी को निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचनांए उपलब्ध कराने की कृपा करें :–

1. यह कि प्रार्थी द्वारा दिनाँक 06.12..2025 को **''माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न कर मात्र द्वेष भावना के चलते थानाध्यक्ष, थाना–वजीरगंज, जनपद–लखनऊ के निरीक्षक (एस0एच0ओ0) राजेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के परिजनों को अवैध रूप से अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उत्पीड़ित किये जाने से रोके जाने के सम्बन्ध''** विषयक एक प्रार्थना पत्र स्पीड़–पोस्ट से प्रेषित किया था जो दिनाँक 10.12.2025 को तामील भी हो गया है। जिसकी ट्रैक रिपोर्ट भी साथ में संलग्न है। उक्त प्रार्थना पत्र के सापेक्ष अभी तक जो भी कार्यवाही सम्पादित की गयी है उक्त कार्यवाही की सत्यापित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपकी मकान कृपा होगी। प्रार्थना पत्र के साथ मूलपोस्टल रसीद मय ट्रैकिंग रिपोर्ट एवं आदेश दिनाँकित 26.11.2025 की छायाप्रतियाँ साथ में संलग्न हैं।

उपरोक्त सूचनाओं शुल्क के रूप में प्रार्थी 10/–रूपये मूल्य का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या–73F 187717 दिनाँकित 13.03.2026 इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा है।

लखनऊ।

दिनाँकः–16.03.2026

प्रार्थी

राजू बहेलिया

(राजू बहेलिया)

पुत्र स्व0 श्याम लाल,

निवासी–मकान नं0–481/63/1,

बाग शाह जी बाग,

मोहन मीकिन रोड,

डालीगंज, लखनऊ–226020

मो0नं0–8382828731

फैक्स

सेवा में,

महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय,

~~उप~~- राष्ट्रपति भवन,

नई दिल्ली (भारत)– 110001.

विषय :– **माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न कर मात्र द्वेष भावना के चलते थानाध्यक्ष थाना– वजीरगंज के निरीक्षक (एस0एच0ओ0) राजेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के परिजनों को अवैध रूप से अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उत्पीडित किये जाने से रोके जाने के सम्बन्ध में।**

महामहिम महोदय,

सादर विनम्रतापूर्वक प्रार्थी अनुरोध करता है कि प्रार्थी राजू बहेलिया फल विक्रेता, डाब नारियल पानी का थोक एवं फुटकर विक्रेता है तथा रेजीडेन्सी के सामने शहीद कारगिल पार्क, निकट शहीद स्मारक, लखनऊ उ0प्र0 के पास अपनी दुकान का संचालन करता है। दिनाँक 21.08.2025 को थानाध्यक्ष, थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ के राजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा नगर निगम लखनऊ के कर्मियों एवं श्रीमती अनीता तिवारी के साथ दुरभि सन्धि साठ–गांठ करके विधि विरूद्ध तरीके से न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू0डि0) नार्थ लखनऊ द्वारा प्रार्थी के पक्ष में उक्त दुकान से सम्बन्धित पारित स्टे आर्डर को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए लूटपाटकर ली गयी। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अवमानना वाद Misc. Case No-924/2024 राजू बहेलिया बनाम नगर आयुक्त व आदि न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू0डि0) नार्थ, लखनऊ के यहाँ अवमानना वाद दाखिल किया गया। जो कि दिनाँक 26.11.2025 को प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत भी कर दिया गया है। जबसे उक्त अवमानना वाद में पारित आदेश दिनाँकित 26.11.2025 की जानकारी विपक्षी राजेश कुमार त्रिपाठी, थानाध्यक्ष, थाना वजीरगंज, जनपद–लखनऊ को प्राप्त हुई है तब से वह प्रार्थी एवं उसके लड़के कमल कुमार एवं प्रेम कुमार के पीछे हाथ धोकर पड़ गये हैं तथा लगातार झूठे एवं फर्जी मुकदमों में फंसा देने की

राजू बहेलिया

खुलेआम धमकी देते फिर रहे हैं तथा इस बात की भी पूरी सम्भावना है कि उपरोक्त श्रीमती अनीता तिवारी के साथ साठ–गांठ करके राजेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान थानाध्यक्ष महोदय थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ प्रार्थी राजू बहेलिया एवं उसके दोनों पुत्रों कमल कुमार एवम् प्रेम कुमार को किसी भी फर्जी मुकदमें में फंसाकर प्रार्थी व उसके दोनों पुत्रों का इनकॉउण्टर भी करा सकते हैं।

प्रार्थी यह भी स्पष्ट कर रहा है कि प्रार्थी की राजेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान थानाध्यक्ष महोदय, थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ एवं श्रीमती अनीता तिवारी के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से कोई लड़ाई–झगड़ा व विवाद नहीं है।

अतः महामहिम महोदय जी से प्रार्थना है कि भविष्य में प्रार्थी एवं उसके दोनों लड़कों के साथ यदि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी श्री राजेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान थानाध्यक्ष महोदय, थाना–वजीरगंज, जनपद–लखनऊ एवं श्रीमती अनीता तिवारी की होगी तथा वे लोग ही उक्त घटनाक्रम के लिए सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार माने जाये।

लखनऊ।

दिनाँकः–06.12.2025

प्रार्थी

राजू बहेलिया

(राजू बहेलिया)

पुत्र स्व0 श्याम लाल

निवासी–मकान नं0–481/63/1,

मोहन मीकिन रोड, बाग शाह जी बाग,

डालीगंज, लखनऊ–226020

मो0नं0–8382828731

भारतीय डाक

Lucknow CPO (226001 .10

SP-D EU799212047IN 12047

06-12-2025 17:53:36,264 (Ac India Post gms,

To: MAHAMAHIM UPRATRAPATI, RASTRA BHAWAN

New Delhi HO, DELHI - 110001

From:RAJU BAHELIYA-226020

(Base:75.00)

Track@ www.indiapost.gov.in Dial-180026(

संलनकः–

1. प्रार्थी की दुकान की लूट–पाट से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स।
2. प्रार्थी के द्वारा दाखिल अवमानना वाद Misc. Case No-924/2024 राजू बहेलिया बनाम नगर आयुक्त व आदि में पारित आदेश दिनाँक 26.11.2025 की कापी।